अपील सूचना अधिकार संख्या 48/2022 (GCMS 2022/186)(आईटीआई पोर्टल नं. 212798684500355) हरदेव सिंह पुत्र हाकम सिंह, सोशल वर्कर, निवासी गांव अभोली, तहसील रानियां, जिला सिरसा (हरियाणा) – 125076 (मोबाईल नं. 98124–88810) <u>बनाम</u> राज्य जन सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

<u>17.08.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हरदेव सिंह स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश कर दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, किन्तु जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु उसने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.04.2022 के द्वारा जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः

1. यह है कि श्रीमती गुरदेव कौर पत्नी स्वर्गीय श्री बाज सिंह गांव सागरवाला, ग्राम पंचायत जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर बुढापा/विधवा पेंशन का लाभ ले रही है या नहीं, सूचना उपलब्ध करवाई जाये, यदि ले रही है तो रिकॉर्ड की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करवाई जाये।
2. यह है श्रीमति गुरदेव कौर पत्नी स्वर्गीय बाज सिंह निवासी गांव सागरवाला ग्राम पंचायत जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की पी.पी.ओ. नम्बर जी010903 की स्वीकृति के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान [illegible] कि कुल अवधि में 29083/– रुपये पेंशन का [illegible] क्या यह राशि सम्बन्धित विभाग द्वारा रिकवर [illegible] है। यदि की है तो [illegible] सहित वसूल की गई राशि का प्र[illegible] सत्यापित प्रतियों में [illegible] करवाया जाये।

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.25 17:10:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक कोष / गंगा / आरटीआई / 2022–23 / 866 दिनांक 05.08.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्र में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री हरदेव सिंह पुत्र हाकम सिंह निवासी गांव अभोली तहसील रानियां जिला सिरसा (हरियाणा) 125076 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील के बिन्दु संख्या 1 श्रीमती गुरदेव कौर पत्नी स्व. बाज सिंह निवासी सागरवाला ग्राम पंचायत जोधेवाला जिला श्रीगंगानगर के पीपीओ नं. जी 010903 वृद्धावस्था पेशन भुगतान राशि मय ब्याज वसूली की सूचना दिनांक 28.04.2022 के आवेदन (आईपीओ 57 एफ 684225) द्वारा चाही गई थी। उपरोक्त आवेदन से सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 534 दिनांक 25.05.2022 को पूर्व में आवेदक को सूचित किया जा चुका है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 439 546 दिनांक 30.04.2020 द्वारा राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन संबंधी बिलों के आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं उन्हें पारित करने का कार्य राज्य के कोषाधिकारी के स्थान पर केन्द्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के तहत अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय) एकल आहरण एवं वितरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान व वसूल संबंधी सूचना वर्तमान में इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण सूचना भिजवाया ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.25 17:10:28 IST
Reason: SelfAttested

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
(ज्योति)
अति. कोषाधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.08.2022 से अपील का जवाब उक्तानुसार देते हुए प्रार्थी को भी सूचित किया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है, इसलिए जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है, वह सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति **जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद [illegible] अपील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.25 17:10:28 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर